

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

भीखाराम वगैरह

बनाम

घेवरराम वगैरह

किस्म मुकदमा 225 आर.टी.एक्ट न. 61 सन् 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जन	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
23.06.2020	पत्रावली कार्यालय से वाद जांच होकर पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापति एवं रेस्पोंडेंट संख्या 1 की ओर से केवियटर अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार उपस्थित। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु पत्रावली दिनांक 26.06.2020 को पेश हो।	मोह
26.06.2020	पत्रावली स्थगन प्रार्थना पत्र बहस हेतु पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापति एवं रेस्पोंडेंट संख्या 1 की ओर से केवियटर अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार एवं रेस्पोंडेंट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री पी.के. देवड़ा जरिये उपस्थिति पत्रक उपस्थित। उभय पक्ष की स्थगन प्रार्थना पत्र एवं अपील पर अंतिम बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 30.06.2020 को पेश हो।	अधीनस्थ - न्यायालय Res N. 2 न्यायालय से माननीय न्यायालय उपस्थिति
30.06.2020	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। उभय पक्ष के अधिवक्तागण की पूर्व में बहस सुनी जा चुकी है। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मीमों एवं स्थगन प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर मनमाने तरीके से पारित किया है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं देकर एकतरफा तौर पर तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं वास्तविक स्थिति से हट कर कठोरतम मार्ग अपनाते हुए पारित किया। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व न्यायालय द्वारा ज्यूडिशियल माईण्ड अप्लाइ नहीं किया और न ही मूल वाद एवं विविध वाद में आये तथ्यों एवं दस्तावेजों का अवलोकन ही किया मात्र मनमाने तौर पर तथाकथित हल्का पटवारी रिपोर्ट को आधार बनाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रकरण के मूल वाद में अपीलांट द्वारा जवाब प्रस्तुत कर स्पष्ट रूप से वाद को निरस्त करने बाबत सुसंगत तथ्य और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किये जिसे भी रेस्पोंडेंट वादी का वाद मेन्टेनेबल नहीं था और न ही विवादग्रस्त भू-भाग पर किसी भी रूप में रेस्पोंडेंट वादी का कब्जा था। उसके उपरांत भी इन तथ्यों को इग्नोर करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया। अपीलांट द्वारा न्यायालय के इस आदेश की अवमानना नहीं की है और न ही मौके पर निर्माण कार्य किया	26.6.20

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

1.7.0

मेहरामनगर के खेत खसरा नं. 128 रकबा 1.14 बीघा के संबंध में दिनांक 02.07.2018 को अंतरिम स्थगन आदेश इस आशय का पारित किया गया कि अप्रार्थीगण नया निर्माण कार्य नहीं करे तथा मौके की यथास्थिति कायम रखी जावे। इसके बावजूद भी अंतरिम आदेश पारित करने की तारीख के पश्चात् अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर निर्माण कार्य किया गया जो पटवारी जानादेसर की मौका फर्द दिनांक 09.09.2018 के मुताबिक "अप्रार्थीगण मौके पर निर्माण कार्य करवा रहे है तथा आदेश की अवमानना की जा रही है।" से स्पष्ट हो जाता है।

पत्रावली पर 29.05.2020 की मौके की तस्वीरे उपलब्ध है, जिसमें तथाकथित निर्माण की प्रगति लिंटल स्तर तक है, परन्तु वक्त कुर्की निर्माण छत तक किया हुआ पाया गया। इससे पूर्व मौका फर्द दिनांक 16.06.2020 जो नायब तहसीलदार झंवर द्वारा तैयार की गयी है, के अनुसार "मौके पर पहुंचने पर पाया गया कि उक्त खसरे में वर्तमान में कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा है तथा अप्रार्थीगण पुखराज वगैरह को पाबंद किया गया कि इस खसरे में भविष्य में जब तक स्थगन आदेश है तब तक किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जावे।" इसका अर्थ है कि अप्रार्थीगण को निर्माण नहीं करने के लिए पाबंद किया गया परन्तु उन्होंने मौके पर निर्माण कार्य कर छत स्तर तक प्रगति कर ली। इस तथ्य को इंगित करते हुए प्रार्थीगण (रेस्पोंडेंट्स) ने एक आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर अस्थायी निषेधाज्ञा भंग करने के फलस्वरूप कार्यवाही करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की पूर्ण संतुष्टि करते हुए अपने आदेश में स्पष्ट किया कि :- "ऐसी स्थिति में अंतरिम स्थगन आदेश के बावजूद बार-बार अप्रार्थीगण द्वारा आदेश की अवमानना करते हुए निर्माण कार्य करवाया जा रहा है।" ऐसी परिस्थितियों में अपीलाधीन आदेश पारित करके ग्राम मेहरामनगर की वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 128 रकबा 1.14 बीघा पर अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के द्वारा स्थगन आदेश में अवमानना करते हुए किये गये नया निर्माणाधीन स्थल एवं निर्माण सामग्री को कुर्क किया और कब्जा उपतहसीलदार झंवर को सुपुर्द किये जाने के आदेश किये गये। इस आदेश की पालना दिनांक 24.06.2020 को मौके पर की जा चुकी है जो उपतहसीलदार झंवर द्वारा तैयार कुर्की चस्पानगी, कुर्की मौका पर्चा एवं सुपुर्दगीनामा से स्पष्टतः प्रमाणित है।

प्रस्तुत अभिलेख के आलोक में यह साबित है कि अपीलांद्स ने अधीनस्थ न्यायालय के अस्थाई व्यादेश दिनांक 02.07.2018 को भंग किया और अवज्ञा की। यही अधीनस्थ न्यायालय ने भी निर्धारित किया और अपना पूर्ण समाधान कर लेने के पश्चात अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिससे समुचित और न्यायोचित करार देते हुए अपील अपीलांद्स सारहीन होने के कारण खारिज

है। परन्तु रेस्पोंडेंट वादी द्वारा मिलीभगत कर अपीलांट की जानकारी में लाये बगैर तथाकथित रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय से तथ्यों को छुपाते हुए अपीलाधीन आदेश हेतु कार्यवाही कर न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करवाया। अपीलाधीन आदेश की कार्यवाही हेतु वादी ने दिनांक 27.05.2020 को अत्यधिक मजदूर लगा लगा कर निर्माण कार्य करने बाबत कथन किये है, जबकि अपीलांट द्वारा तत्समय किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य मौके पर नहीं किया और न ही न्यायालय के आदेश की अवमानना की है। जबकि न्यायालय द्वारा इन तथ्यों को आधार बना कर अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए अपीलांट के अधिकारों का हनन किया। विवादग्रस्त भूमि गैर मुमकिन किस्म के रूप में राजस्व रेकॉर्ड में इब्दाज है तथा मौके पर वर्षों व पीढियों से अपीलांट के मकानात बने हुए है तथा अपीलांट का रहवास उपरोक्त भूमि में है। इसके बावजूद अपीलाधीन आदेश के द्वारा अपीलांट के उपरोक्त रहवासीय भू-भाग को भी कुर्क करने एवं रिसीवर नियुक्त करने के आदेश पारित कर दिया जो कि अपीलांट के संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध है एवं ऐसी कठोरतम प्रक्रिया के तहत अपीलांट के महत्वपूर्ण अधिकार समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी जानकारी रेस्पोंडेंट द्वारा अपीलांट को धमकी पूर्वक कथन करते हुए कहा गया कि वो शीघ्र ही अपीलांट को बेदखल कर देगा एवं अपीलाधीन आदेश पारित करवा दिया है जिस पर अपीलांट लॉक डाउन एवं कोरोना काल की विकट परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय में जाकर आदेश की जानकारी प्राप्त की और उसकी प्रति प्राप्त कर अविलंब उपरोक्त अपील प्रस्तुत की है। अपीलाधीन आदेश पूर्णत मनमाना आदेश है तथा कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.06.2020 बअनवान घेवरराम बनाम भीकाराम वगैरह को अपास्त फरमाया जावे और अन्य आदेश जो श्रीमान् जी मुनासिब समझे पारित फरमावें।

रेस्पोंडेंट संख्या 1 (केवियटर) व 2 के अधिवक्तागण द्वारा अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए कथन किये कि अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश की अवेहलना कर निर्माण कार्य कर मौके की स्थिति को परिवर्तित कर रहे थे। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का जानादेसर की रिपोर्ट के आधार पर विधिसम्मत अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील का खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर आघोपांत गहन मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूपी द्वारा वादग्रस्त भूमि ग्राम


भीखाराम वगैरह बनाम घेवरराम वगैरह किस्म मुकदमा 225 आर.टी.एक्ट न. सन् 2020

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स नज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

योग्य होने से खारिज की जाती है।
पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।


शाबरज अमीन प्राधिकारी
बोधपुर

